न्यायालय न्यायनिर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद गौड़
मुकदमा नम्बर : 05/2023 आर.ए.एस

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

श्री रविकान्त पुत्र सुभाषचन्द जिंदल, मै0 जिंदल किराणा स्टोर, अनाज मण्डी सूरजगढ, झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

–निर्णय– दिनांक : 15.02..2023

पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदकगण स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी जिन्दल किराणा स्टोर के नाम से अनाज मण्डी, सूरजगढ, झुन्झुनू में किराणा स्टोर है। जहां वह किराणा सामान का बेचान करता है। उसकी दुकान से हल्दी पाउडर(लूज) का सैम्पल लिया गया था जो लूज सैम्पल(Loose sample) पाया गया है। अनावेदक का कथन है कि अब उसने खुली हल्दी का बेचान करना बन्द कर दिया है। अतः उस पर कम से कम जुर्माना लगाया जाये।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./3385/एक्ट/2022/3427 दिनांक 28.11.2022 के अनुसार खाद्य हल्दी पाउडर(लूज) का सैम्पल लिया गया था जो लूज सैम्पल(Loose sample) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के Contravenes Regulation No.2.3.14(15) of Food Sagety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales)उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक स्वयं दुकान का मालिक है तथा हल्दी(लूज) का बेचान करता है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर(लूज) लूज सैम्पल(Loose sample) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री विनोद कुमार पुत्र कुरड़ाराम शर्मा, मै0 श्री रविकान्त पुत्र सुभाषचन्द जिन्दल, मै0 जिंदल किराणा स्टोर, अनाज मण्डी, सूरजगढ झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 10,000/– दस हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 15.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.03.10 17:00:34 IST
Reason: SelfAttested